



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14082020-221137
CG-DL-W-14082020-221137

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, अगस्त 2—अगस्त 8, 2020, शनिवार /श्रावण 11—श्रावण 17, 1942
No. 24] NEW DELHI, AUGUST 2—AUGUST 8, 2020, SATURDAY/SRAVANA 11—SRAVANA 17, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में निरीक्षक (डेमो) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल [निरीक्षक (डेमो)], भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निरीक्षक (डेमो)	01*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (रु. 44,900-1,42,400/-)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेहन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों; अथवा (ii) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु.35,400-1,12,400/-) अथवा समतुल्य में इस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा कर चुके हों; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। वांछनीय: (i) डेमो प्लाटून में प्रभारी या 2आई सी प्रभारी या समतुल्य के रूप में एक वर्ष का अनुभव। (ii) कम्प्यूटर में बुनियादी प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा। टिप्पण.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है

[फा.सं.23011/77/2015-पीटी]

नरेन्द्र कुमार साहु, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th August, 2020

G.S.R. 109.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Demo) in Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Academy for Police Training, Bhopal, Inspector (Demo), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule hereto annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications .**—No person:

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inspector (Demo)	01 (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group – ‘B’ Non-Ministerial Non-Gazetted	Level 7 (Rs. 44900-142400/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation	Deputation: Officers of the Central Armed Police Forces: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs. 35400-112400/-) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: - Essential: (i) Bachelor’s Degree from a recognized University;	Not applicable	Not applicable

	Desirable: (i) one year's experience as In-charge/2IC or equivalent in Demo Platoon. (ii) basic level certificate or Diploma course in computers. Note.- The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	---	--	--

[F. No. 23011/77/2015-PT]

NARENDRA KUMAR SAHOO, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2020

सा.का.नि.110.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1980 को, जहाँ तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड-III के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में आशुलिपिक ग्रेड -II पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, आशुलिपिक ग्रेड-II समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2020 है।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—** वह व्यक्ति —
(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।
(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** .—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक-ग्रेड-II	11* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर -4 (25500 – 81100/- रुपये)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी: आयु-सीमा के अवधारित की तारीख निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। 2. कौशल परीक्षण मानदण्ड श्रुतलेख: प्रति मिनट 80 की दर पर 10 मिनट तक अनुलिपीकरण: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिंदी) (मैन्युअल टाइपराइटर पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी) (कम्प्यूटर पर)	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: एक अथवा अधिक वर्षों तक प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश या किसी परिस्थिति के कारण होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के पदधारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकेगा, जो सदृश नियमित आधार पर या सदृश पदधारण करते हों और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु) में शामिल है: i. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष ii. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या अन्य संस्थान के उप निदेशक – सदस्य iii. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य	आवश्यक नहीं

[सं.1-71/2019/प्रशा.1]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th July, 2020

G.S.R. 110 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Malaria Eradication Programme, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-III except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Stenographer Grade-II** in the National Vector Borne Disease Control Programme, (NVBDCP), under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (i) These rules may be called the National Vector Borne Disease Control Programme **Stenographer Grade-II, Group 'C' Post** Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in Pay Matrix.**—The number of said post, its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time In this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection posts	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II.	11* (2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' non-Gazetted Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Not Applicable	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential 1. 12 th Class pass or equivalent from a recognised Board. 2. Skill Test Norms Dictation: 10 mts @ 80 words per minute, Transcription:- 65 mts (English) 75 mts (Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 mts (English) 65 mts.(Hindi) (On Computer)	Not Applicable	Two years for direct recruits	By Direct recruitment through Staff Section Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts or regular basis and possessing the qualifications prescribed for Direct recruits at Col (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades, from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Joint Director or Deputy Director, National Vector Borne Diseases Control Programme – Chairman ; (ii) Deputy Director of Directorate General of Health	Not necessary.

	Services or any other institution of the Directorate located in New Delhi – Member; (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme – Member.	
--	--	--

[No. 1-71/2019/ Admn.I]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

**संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)**

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2020

सा.का.नि.111.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्य उद्यानविद, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 1996, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वर्ग I तथा वर्ग II राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1967, जहां तक उनका संबंध उप अधीक्षण उद्यानविद और भू-दृश्य वास्तुकार के पदों से हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (सहायक अधीक्षण उद्यानविद) भर्ती नियम, 1995 और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह ग अराजपत्रिक पद) भर्ती नियम, 1968, जहां तक कि उनका संबंध ज्येष्ठ उद्यान सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में मुख्य उद्यानविद, उप अधीक्षण उद्यानविद, सहायक अधीक्षण उद्यानविद, भू-दृश्य वास्तुकार और ज्येष्ठ उद्यान सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उद्यान संवर्ग (समूह 'क' तथा समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य उद्यानविद I	01*(2020) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसन्धिवीय	स्तर - 11	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 में ऐसे उप अधीक्षण उद्यानविद जिन्होंने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो तथा बागवानी उद्यान तथा भूदृश्य निर्माण से संबंधित दो से चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्था के

	ऐसे अधिकारी: (क) (I) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 10 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी या कृषि (बागवानी एक विषय सहित) या वनस्पति या कृषि वनस्पति में स्नातकोत्तर डिग्री: या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी या भू-दृश्य वास्तुकला में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बागवानी या कृषि या वनस्पति विज्ञान में स्नातक डिग्री; और (ii) किसी सरकारी या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सजावटी बागवानी या भूदृश्य निर्माण सहित बागवानी में सात वर्ष के अनुभव सहित कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (1) सचिव, संस्कृति मंत्रालय – (अध्यक्ष) (2) संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय – (सदस्य) (3) अपर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – (सदस्य) (4) संयुक्त महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – (सदस्य)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) द्वारा अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) उप अधीक्षण उद्यानविद	3* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-10	चयन पद

(6)	(7)
35 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक छूट शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: (आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला और चंबा जिले का पंगी उपमंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी (पुष्प सज्जा एक विषय सहित) या कृषि (बागवानी एक विषय सहित) या वनस्पति विज्ञान या कृषि वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी या भू-दृश्य वास्तुकला में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित बागवानी या कृषि या वनस्पति विज्ञान में स्नातक डिग्री; और (ii) किसी उपक्रम सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सजावटी बागवानी या भूदृश्य निर्माण सहित बागवानी में पांच वर्ष का अनुभव। सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं लेखबद्ध कारणों, के साथ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं। संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है

(8)	(9)
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं: नहीं किंतु अनुसूची के स्तम्भ (11) में विनिर्दिष्ट तक	एक वर्ष

(10)	(11)
67% सीधी भर्ती द्वारा; और 33% प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं। (अल्प संविदा सहित)	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में ऐसे सहायक अधीक्षण उद्यानविद तथा भूदृश्य वास्तुकार जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वनस्पति विज्ञान, कृषि या बागवानी विषय सहित स्नातक डिग्री हो और बागवानी उद्यान तथा भूदृश्य निर्माण से संबंधित दो से चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर

	श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति की पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने श्रेणी या पद में निहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारी: (क) (I) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 8 या स्तर – 9 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निहित किए गए अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
--	---

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी; 1. अध्यक्ष/सदस्य - संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव / संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय – सदस्य 3. महानिदेशक /अपर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण –सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी; 1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय –अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय – सदस्य 3. अपर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण –सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सहायक अधीक्षण उद्यानविद	3* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-7	चयन पद

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में ऐसे ज्येष्ठ उद्यान सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो और बागवानी उद्यान से संबंधित दो से चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी: (क) (I) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों, अर्थात्, (I) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी या कृषि या वनस्पति विज्ञान में स्नातक डिग्री; तथा (II) किसी सरकारी या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सजावटी बागवानी या भूदृश्य निर्माण सहित बागवानी में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी; 1. अपर महानिदेशक (प्रशासन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – अध्यक्ष 2. निदेशक (उद्यान) / मुख्य उद्यानविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण –सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन)/ उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. भू-दृश्य वास्तुकार	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-7	लागू नहीं होता

(6)	(7)
30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिलो तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वनस्पति विज्ञान या कृषि या बागवानी में स्नातक डिग्री; (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से भू-दृश्य वास्तुकला में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तिया केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, जो : (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारित करते हों; और (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के लिए) - अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -अध्यक्ष - निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य - निदेशक (उद्यान)/ मुख्य उद्यानविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. ज्येष्ठ उद्यान सहायक	8* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसन्धिवीय	स्तर-6	चयन पद

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 में ऐसे उद्यान सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो और बागवानी उद्यान से संबंधित दो से चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— - अपर महानिदेशक (प्रशासन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण — अध्यक्ष - निदेशक (उद्यान) या मुख्य उद्यानविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

3. निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -सदस्य	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	
1. अपर महानिदेशक (प्रशासन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष	
2. निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -सदस्य	
3. निदेशक (उद्यान) या मुख्य उद्यानविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -सदस्य	

[फा. सं. 3-4/2018 - योजना तथा एच.आर.डी. (आर.आर.)]

पी. जी. कलाधरन, निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

New Delhi, the 4th August, 2020

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Human Resources Development, Department of Culture, Archaeological Survey of India, Chief Horticulturist, Group 'A' post, Recruitment rules, 1996, the Archaeological Survey of India (Class I and Class II Gazetted posts) Recruitment Rules, 1967 in so far as it relates to the posts of Deputy Superintending Horticulturist and Landscape Architect, the Archaeological Survey of India (Assistant Superintending Horticulturist) Recruitment Rules, 1995 and the Archaeological Survey of India (Group C Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 1968 in so far as it relates to the post of Senior Horticulture Assistant except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Horticulturist, Deputy Superintending Horticulturist, Assistant Superintending Horticulturist, Landscape Architect and Senior Horticulture Assistant in the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Horticulture cadre (Group 'A' and Group 'B' posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.— The number of the said posts, their classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Chief Horticulturist	1*(2020) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level-11

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)
Promotion: Deputy Superintending Horticulturist in Level-10 in the pay matrix with five years' service in the grade after appointment thereto on regular basis and have undergone two to four weeks training in period related horticultural gardening and landscaping. . Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or Institute or Research Institution; (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed as under:- (i) Master's degree in Horticulture or Agriculture (with Horticulture as one of the subjects) or Botany or Agriculture Botany from a recognised University or Institute ; or Bachelors degree in Horticulture or Agriculture or Botany with post-graduate diploma in Horticulture or Landscape Architecture from a recognised University or Institute; (ii) Seven years experience in Horticulture including ornamental gardening or landscaping in a Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or recognised University with at least three years Administrative experience.

Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of: (1) Secretary, Ministry of Culture -Chairman (2) Joint Secretary, Ministry of Culture -Member (3) Additional Director General, Archaeological Survey of India -Member (4) Joint Director General, Archaeological Survey of India -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Deputy Superintending Horticulturist	3*(2020) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level-10

(5)	(6)	(7)
Selection post	Upto 35 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) (The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep))	(i) Master's degree in Horticulture (with Floriculture as one of the subjects) or Agriculture (with Horticulture as one of the subjects) or Botany or Agriculture Botany from a recognised University or Institute; or Bachelors degree in Horticulture or Agriculture or Botany with post-graduate diploma in Horticulture or Landscape Architecture from a recognised University or Institute; and (ii) Five years experience in horticulture including ornamental gardening or landscaping in a Government or Autonomous or Statutory organisation of Public Sector Undertaking or recognised University. (Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified) (The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up of the vacancies reserved for them.)

(8)	(9)	(10)
Age: No. Educational qualifications: No. But to the extent specified in column (11) of the Schedule	One year	67% by direct recruitment; and 33% by promotion failing which by deputation including short term contract

(11)

Promotion:

Assistant Superintending Horticulturist and Landscape Architect in Level-7 in the pay matrix with three years' regular service in the grade and possessing Bachelor's degree with Botany, Agriculture or Horticulture as a subject from a recognised University or Institute and having successfully completed two to four weeks training in period related horticultural gardening and landscaping.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

Deputation:

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Public Sector Undertaking or recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisation;

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) having two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level-8 or Level-9 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of ;

1. Chairman/ Member,

Union Public Service Commission

- Chairman

2. Secretary/ Joint Secretary,

Ministry of Culture

- Member

3. Director General/Additional Director

General, Archeological Survey of India

- Member

Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:-

(1) Secretary, Ministry of Culture

- Chairman

(2) Joint Secretary, Ministry of Culture

- Member

(3) Additional Director General,

Archeological Survey of India

- Member

(4) Director (Administration)

Archeological Survey of India

- Member

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(1)

(2)

(3)

(4)

3. Assistant Superintending Horticulturist

3*(2020)
(*Subject to variation dependent on workload)

General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial

Level-7

(5)	(6)	(7)
Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by Deputation including short term contract.

(11)
Promotion: Senior Horticulture Assistant in Level-6 in pay matrix with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and have successfully completed 2 to 4 weeks training in period related horticulture gardening. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or recognised University for Institute or Research Institution; (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level-6 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely :- (i) Bachelors degree in Horticulture or Agriculture or Botany from a recognised University or Institute; and (ii) three years experience in horticulture including ornamental gardening or landscaping in a Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or recognised University. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) :— 1. Additional Director General (Administration) Archaeological Survey of India - Chairman 2. Director (Horticulture)/Chief Horticulturist Archaeological Survey of India - Member 3. Director (Administration)/Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.Landscape Architect	1*(2020) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Level-7

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Upto 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions)	Essential: (i) Bachelors degree in Botany or Agriculture or Horticulture from a recognised University or Institute; and

	or orders issued by the Central Government) (The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)	(ii) Post Graduate Diploma in Landscape Architecture from a recognised Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	--	---

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)
Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) :— 1. Additional Director General (Administration) Archaeological Survey of India - Chairman 2. Director (Administration) Archaeological Survey of India - Member 4. Director (Horticulture)/Chief Horticulturist, Archaeological Survey of India - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.Senior Horticulture Assistant	8*(2020) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-6

(5)	(6)	(7)
Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By promotion

(11)
Promotion: Horticulture Assistant Grade I in Level-5 in the pay matrix with six years' service in the grade after appointment thereto on regular basis and have successfully undergone two to four weeks training in period related horticultural gardening.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:— 1. Additional Director General (Administration) Archaeological Survey of India - Chairman 2. Director (Horticulture) or Chief Horticulturist Archaeological Survey of India - Member 3. Director (Administration) or Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:— 1. Additional Director General (Administration) Archaeological Survey of India - Chairman 2. Director (Horticulture) or Chief Horticulturist Archaeological Survey of India - Member 3. Director (Administration) or Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 3-4/2018-Plg. & HRD (RR)]

P. G. KALADHARAN, Director (Administration)